Date – 27 June 2022

फ्लोर टेस्ट: राज्यपाल

- हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला एक बार फिर चर्चा में है|

फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 174 – राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 174 (2) (बी) राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर विधान सभा को भंग करने का अधिकार देता है, हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग तब कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री, जिसका बहुमत संदेह में हो|
- अनुच्छेद 175(2) के अनुसार, राज्यपाल सदन का सत्र बुला सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं या नहीं।

- हालांकि, राज्यपाल उपरोक्त शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही कर सकता है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
- जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो अध्यक्ष शक्ति परीक्षण के लिए बुला सकते हैं। लेकिन जब विधान सभा सत्र में नहीं होती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति दे सकता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति:

- अनुच्छेद 163(1) अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना चाहिए और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए।
- राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो और उसका समर्थन बहस का विषय हो।
- आमतौर पर मुख्यमंत्री पर संदेह होता है जब वह बहुमत खो चुके होते हैं, विपक्ष और राज्यपाल शक्ति परीक्षण के लिए बुलाएंगे।
- न्यायालयों ने कई मौकों पर यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्ता पक्ष के बहुमत पर सवाल हो, तो जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर शक्ति परीक्षण किया जाना चाहिए।

फ्लोर टेस्ट बुलाने की राज्यपाल की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:

- 2016 में नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर (अरुणाचल प्रदेश विधान सभा मामला) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल में निहित नहीं है और इसका प्रयोग सरकार की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिए, मंत्रिपरिषद और स्वविवेक विवेक पर नहीं।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल एक निर्वाचित प्राधिकारी नहीं है, वह केवल राष्ट्रपति का एक नामित व्यक्ति है, और ऐसे नामित व्यक्ति का राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का गठन करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों पर अधिभावी अधिकार नहीं हो सकता है।
- राज्यपाल को राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यकारिणी पर शासन करने की अनुमति देना संविधान के प्रावधानों में निहित मजबूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। विशेष रूप से क्योंकि संविधान की स्थापना मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी के सिद्धांत पर हुई है।
- वर्ष 2020 में शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर की शक्तियों को बरकरार रखा, अगर पहली नजर में यह माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। स्पीकर की शक्तियों को बरकरार रखा।
- वर्ष 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की शक्ति को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति को बरकरार रखा, यदि यह प्रथम दृष्टया माना जाता है कि सरकार शिवराज सिंह चौहान और अन्य में अपना बहुमत खो चुकी है। बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य।

- "राज्यपाल को शक्ति परीक्षण का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है, जहां राज्यपाल के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है, इस मुद्दे का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा।

फ्लोर टेस्ट:

- यह बहुमत के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (सीएम) के खिलाफ संदेह है, तो उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है।
- गठबंधन सरकार के मामले में, मुख्यमंत्री को विश्वास मत लेने और बहुमत प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है।
- स्पष्ट बहुमत के अभाव में, जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा कर रहे हों, तो राज्यपाल यह देखने के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसके पास बहुमत है।
- कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या वोट न देने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में केवल उन्हीं विधायकों के आधार पर नंबरों पर विचार किया जाता है जो वोट देने के लिए मौजूद थे।

स्वदीप कुमार

निपुण

- हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 'निपुन' नामक एक अभिनव परियोजना यानी निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी।
- कुशल निर्माण उद्योग के लिए भविष्य की श्रम शक्ति का निर्माण करना जो देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगा।
- निर्माण क्षेत्र 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की राह पर है, और अगले दस वर्षों में 45 मिलियन से अधिक योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी।

कौशल परियोजना:

- परियोजना का मूल उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है।
- परियोजना निपुण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है।
- यह परियोजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के परिवर्तनकारी प्रभाव ने शहरी निवासियों, विशेषकर युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीब परिवारों की भेद्यता को कम किया है।

क्रियान्वयन एजेंसी:

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

- एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी है।
- एनएसडीसी प्रशिक्षण, निगरानी और उम्मीदवार ट्रैकिंग के समग्र निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा।

कुशल परियोजना कार्यान्वयन:

- परियोजना कार्यान्वयन को **तीन भागों में बांटा गया है:**

निर्माण स्थलों पर पूर्व प्रशिक्षण (आरपीएल) की मान्यता के माध्यम से प्रशिक्षण:

- एमओएचयूए(MoHUA) के साथ ब्रांडेड आरपीएल प्रमाणन के तहत उद्योग संघों के माध्यम से लगभग 80,000 निर्माण श्रमिकों को ऑनसाइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्लंबिंग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा नए कौशल (एसएससी) के माध्यम से प्रशिक्षण:

- लगभग 14,000 उम्मीदवार प्लंबिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के माध्यम से उन ट्रेडों में नए कौशल हासिल करेंगे जिनमें प्लेसमेंट की संभावना है।

उद्योगों/बिल्डरों/ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट:

- पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप हैं।
- यह केवल मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रदान किया जाएगा।
- यह भी परिकल्पित है कि एनएसडीसी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों जैसे विदेशों में लगभग 12,000 लोगों को आवास देगा।

कुशल परियोजना से जुड़े लाभ:

नए अवसरों तक पहुंच:

- कुशल परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसर खोजने, उनकी मजदूरी बढ़ाने और यहां तक कि विदेशी प्लेसमेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

उद्यमिता की भावना:

- शहरी कामगारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके इसे प्रोत्साहित और समर्थित किया जाता है।
- यह पहल निर्माण श्रमिकों को अधिक कुशल बनाने में सक्षम बनाएगी।

कौशल उन्नति:

- निर्माण श्रमिक अपनी क्षमताओं को उन्नत करके और अपने कौशल में विविधता लाकर निर्माण उद्योग में भविष्य के रुझानों को ध्यान में रखते हुए उन्नत कौशल अपना सकते हैं।
- मंत्रालय को प्रौद्योगिकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण स्थायी हरित भवनों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड समय में छह लाइट हाउस परियोजनाओं का कार्यान्वयन हुआ।

अर्थव्यवस्था का विकास:

- देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए यह योजना सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को उत्प्रेरित करेगी।

सामाजिक सुरक्षा:

- यह प्रशिक्षुओं को डिजिटल कौशल जैसे 'कौशल बीमा', 2 लाख रुपये के कवरेज के साथ तीन साल का दुर्घटना बीमा, कैशलेस लेनदेन और ईपीएफ और बीओसीडब्ल्यू सुविधाएं प्रदान करेगा।

स्वदीप कुमार